☎ 02932-231616

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

क्रमांक : राप्रनिम / क्षे.का पाली / निविदा–2015 / लेखा / 165 दिनाँक : 17/4/2015

संपादक
राजस्थान पत्रिका
पाली।

विषयः–समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलग्न निविदा संख्या 01 / 2015 जिला स्तर पर डी0 आई0 पी0 आर0 दर पर (न्यूनतम साईज) समाचार पत्र में प्रकाशित करावें। समाचार पत्र की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रेषित करावें।

संलग्नः–निविदा प्रति।

भवदीय
Sd
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., पाली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. श्री रजनीश जैन, आईटी प्रभारी, राप्रनिम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित कराने की व्यवस्था करावे।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., पाली

☏ 02932-231616

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

क्रमांक : राप्रनिम/क्षे.का पाली/निविदा–2015/लेखा/166-168 दिनाँक : 17/4/2015

निविदा विज्ञप्ति 01/2015

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पाली के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है:–

कार्य का विवरण :– Computer Operator (Man with machine)-2 (Two)	निविदा आवेदन पत्र की बिक्री	दिनांक 20/04/2015 से 07/05/15 तक किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में।
	निविदा शुल्क	By Hand Rs. 200 By Post Rs. 300 (Through Demand Draft/Banker Cheque Only)
	निविदाऐं जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं अमानत राशि	08-05-2015 at 3:00 pm / Rs. 4000
	निविदा खोलने की तिथि	08-05-2015 at 4:00 pm

निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तें मण्डल की वेबसाईट www.rpcb.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं। निविदा फार्म मण्डल की वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड फार्म उपयोग में लेने पर निविदा शुल्क की राशि 200/–रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भुगतान योग्य पाली के नाम से होना चाहिए। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, पाली

☏ 02932-231616

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,

एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

क्रमांक : राप्रनिम/क्षे.का पाली/निविदा–2015/लेखा/ दिनाँक :

निविदा प्रपत्र

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मेन विद मशीन) की सेवाये किराये पर ऐजेन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु निविदा

1. निविदादाता/फर्म का नाम व पताः ....
   (मय दूरभाष/माबाईल नम्बर तथा ई–मेल यदि हो)..
   ....
2. निविदादाता/फर्म का श्रम विभाग ....
   में पजीयन का क्रमांक एवं दिनांक ....
3. निविदादाता/फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक एंव दिनांक ....
4. टेण्डर प्रपत्र देने का पता क्षेत्रीय कार्यालय, राज0 प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली
5. संदर्भः– निविदा सूचना..दिनांक ....
6. निविदा शुल्क का विवरण– राशि रूपये 200/–
   डी.डी. न0./ बैंकर्स चैक न. ....दिनांक..
7. अमानत राशि के बैंकर्स ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली के नाम देय हो। जारी कर्ता बैंक का नाम.. राशि रू. 4000/– (शब्दो मे रूपये चार हजार मात्र) ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक स. ....दिनांक..
8. निविदा के लिये मासिक प्रस्तावित दर
   प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मेन):– (अंको मे)..
   (शब्दों मे)..

नोटः–

(i) प्रति कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के किराये की राशि रू. 8000/– (अक्षरे रू. आठ हजार) प्रतिमाह (सभी कर सहित) से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी।

(ii) निविदा की प्रस्तावित दर अंकों व शब्दों में समान होनी चाहिये । अंकों व शब्दों में अन्तर होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। दर में किसी भी प्रकार की कोई कांट छांट/ओवर राईटिंग नही होनी चाहिये, यदि काट–छांट हो गई हो तो उसे निविदादाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर कर प्रमाणित किया जावे।

9. निविदादाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र –निविदा आवेदन कर्ता अपनी फर्म/ऐजेन्सी का पूर्ण विवरण, कॉन्स्टीट्यूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।

10. मैंने/हमनें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। हमें सभी मान्य होने बाबत शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

☎ 02932-231616

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
एस–ए–6, मण्डिया रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, पाली

क्रमांक : राप्रनिम/क्षे.का पाली/ दिनाँक :

कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने के लिये मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तेः–

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिये एवं निविदा भेजते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिये । निविदादाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका क्षेत्रीय कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध मे क्षेत्रीय अधिकारी का ही निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

1. निविदा प्रपत्र क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली के कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकेगी। निविदा प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी। यह निविदा प्रपत्र किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।
2. निविदा ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर "संविदा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली को सबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक क्षेत्रीय कार्यालय पाली में पहुंच जाये।
3. निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अमानत राशि के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैंक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैंक, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली के नाम से देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायतशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपकमों, संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनियों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
5. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति दिनाँक से एक सप्ताह के अन्दर अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
6. निविदा (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में वार्षिक ठेके की राशि के 5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, पाली के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात् ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि में समायोजित करा सकेगा।

7. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

8. यह निविदा केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाऐं प्रस्तुत कर सकती हैं जिनका पंजीयन श्रम विभाग एवं आयकर विभाग अर्थात दोनों विभागों में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियॉं निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा। ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. का पंजीयन भी नियमानुसार होना आवश्यक है।

9. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) किराये पर कार्य अवधि का ठेका स्वीकृति दिनॉंक से प्रारम्भ में छः माह की अवधि के लिये होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ठेका आगे बढ़ाया जा सकेगा।

10. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की संख्या व योग्यता विवरणः–

- **कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मशीन विद मैन) की सख्या':– लगभग दो**
- **कर्मी की योग्यताः–**

   (i) कम्प्यूटर ऑपरेटर को विन्डोज/लाइनेक्स एन्वायरेमन्ट कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इन्टरनेट का ज्ञान/अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यों के निस्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है।

   (ii) **कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।**

11. मशीनों को विवरणः–निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी मे होना आवश्यक है–

   i) Computer –Intel Core i3/Equivalent AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more. 15" Monitor\TFT or bigger 10/1001000 Mbps Lan card, Cd/DVD writer standards Keyboard, Optical Mouse, Standard serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

   ii) Printer:-Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Do Matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

   iii) UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

12. निविदादाता ऐजेन्सी का सर्विस टेक्स हेतु रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा तथा निविदा के साथ इसके प्रमाण पत्र एवं साक्ष्य की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।

13. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये सन्तोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरन्त इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा ।

14. कम्प्यूटर ऑपरेटर को आईडी कार्ड ऐजेन्सी द्वारा एपलब्ध करवाये जायेंगे तथा कार्यालय समय में कम्प्यूटर ऑपरेटर को आईडी कार्ड रखना आवश्यक होगा।

15. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से सायः 6 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा ।

16. सफल निविदादाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो तथा शिक्षा एवं तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रतियां कार्यदेश जारी होने की तिथि के पांच दिनों के अन्दर अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होंगे।

17. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक 1:9(1)FD-1(1)Bud2004 Dated: 28.07.2008 के अनुरूप होगी (प्रति संलग्न)

18. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षैत्र, पाली होगा।

19. यदि निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो निविदादाता संस्था/ऐजेन्सी ही उसके लिये उत्तरदायी होगी। राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल उपरोक्त दायित्वों के लिये किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।

20. उक्त निविदा में भाग लेने वाली फर्म/ऐजेन्सी इस क्षैत्र में (राजकीय/अर्द्ध राजकीय/राज्य शासित निकायों) न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसके लिये अनुभव एवं किये गये कार्यों का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। बिना अनुभव प्रमाण पत्रों के निविदा निरस्त योग्य होगी।

21. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी को होगा।

दिनांक :–

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम : मैसर्स ....

पता : ....

(आर.बी.मौर्य)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., पाली

निविदा की शर्ते

वित (बजट) के परिपत्र संख्या 8/2008 कमांक प.9(1)/वित्त–1(1)आ.व्यय/2004

दिनांक 28/07/2008 के बिन्दु संख्या 3 के संदर्भ में

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबन्ध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगीः–

1. अनुबन्ध प्रारभ में एक वर्ष की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढाया जाएगा।
2. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिऐ। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नही पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।
3. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग ये सुविधा भी प्रदान करेगे कि कार्यालय बन्द होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
4. निविदाकर्ता को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय एवं कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाला नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।
5. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जायेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बन्द रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण हो या किसी खराबी के कारण होतो देय राशि में से प्रतिदिन 200/–रूपये की कटौती की जावेगी।
6. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार की अवधि को बढा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होगे एवं यदि बढी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्च पर करवा कर देना होगा।
7. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संघारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। यदि मरम्मत की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि उपकरण में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
8. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने को कहा जावेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नही कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त की जा सकेगी।
9. यदि उपकरणों को चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नही होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
10. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नही किया जावेगा।
11. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डीडी से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हे प्रभावित किया जावेगा।
12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग एवं ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी, अन्य स्थान पर पेश नही की जायेगी।